2024/281

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 09 / 2024 (बांसवाड़ा डिक्री)

नाथू पिता डाईया, जाति पाटीदार, निवासी गोसाई का पाड़ा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. नाथू पिता रणछोड़, जाति पाटीदार, निवासी गोसाई का पाड़ा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान काश्त॰ अधि॰ –1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी गढ़ी दिनांक 06.08.2024 प्रकरण संख्या 81 / 2021

---::---

उपस्थित :– 1– श्री मुकेश द्विवेदी अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री पैरोकार सरकार

---::---

निर्णय **दिनांक 28–08–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 209, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के कब्जे काश्त एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 228 रकबा 0.12 हैक्टर भूमि ग्राम गुसाई का पाड़ा में स्थित है, जिस पर वादी का करीब 40 वर्षो से मकान बना होकर पशुघर बना रख है तथा चारो ओर बाउण्ड्रीवाल बना रखी है एवं उससे लगती हुई वादी की कृषि भूमि स्थित है। सन् 1985 में उक्त भूमि का पट्टा भी वादी को सरकार द्वारा आवंटित किया गया, किन्तु प्रतिवादी ने धोखे से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर [illegible] आवंटित करवा ली, जबकि उक्त भूमि पर वादी 40 [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.24 16:24:06 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

निवासरत है। अतः वादी को आराजी नंबर 228 रकबा 0.12 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जाकर।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 06–08–2024 को वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27–09–2024 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का 40 वर्षो से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है तथा आवासीय मकान व पशुघर बनाकर विद्युत कनेक्शन ले रखा है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया एवं अपीलान्ट/वादी को अतिक्रमी मान वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

5. विद्वान पैरोकार सरकार ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी अनुसार विवादित आराजी नंबर 228 रकबा 0.12 हैक्टर प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नाथू पिता रणछोड़ के खातेदारी में दर्ज है, जबकि अपीलान्ट वादी उक्त भूमि उसे आवंटित होने का कथन करते हुए 40 वर्षो का कब्जा बताया है, किन्तु उक्त भूमि उसे आवंटित हुई हो ऐसा कोई [illegible] प्रस्तुत नहीं किया गया है, मात्र कब्जे के संबंध में कुछ दस्ता[illegible] प्रस्[illegible] किये हैं। अपीलान्ट/वादी का वाद मुख्यत[illegible] के आधार पर है, किन्तु नवीनतम न्यायिक नजीरों अनुसार [illegible]श्तकारी कानून

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.24 16:24:06 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं स.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

उप-पंजीयक अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर सत्यमेव जयते

में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त दस्तावेजों का अध्ययन करते हुए अपीलान्ट/वादी को अतिक्रमी माना है एवं विभिन्न न्यायिक नजीरों का अवलोकन करते हुए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं होना मानते हुए अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

7. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री 06–08–2024 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28–08–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर सत्यमेव जयते

28.8.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.24 16:24:06 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम........**उदयपुर**........

व इजलास ....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** ....

नाथू पिता डाईया, जाति पाटीदार, नि. गोसाई का पाड़ा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा बनाम **नाथू पिता रणछोड़, जाति पाटीदार, नि. गोसाई का पाड़ा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.......**09/2024**...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**...... ....**गढ़ी**... मुकाम...............मुवर्खे..........**06**............माह..........**08**..........**2024**................

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**28**....माह......**08**....सन् **2025** रुबरू..........**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मुकेश द्विवेदी**...मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री पैरोकार सरकार**

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय 06–08–2024 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)....रूपये...... X........ अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**28**.......माह.......**08**..........**2025**........ को जारी किया गया।

28.8.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर सत्यमेव जयते

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील .... 2. स्टाम्प वकालत नामा 3. इजराय हुक्मनामा .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.......... मीजान ...		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, [illegible]
जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.24 16:24:06 IST
Reason: SelfAttested